

CP. 22  
21/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W. J. C. NO. \_\_\_\_\_ OF 2013

Md. Taiyab Hussain ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others.... Respondents.

Sub:- E. C. Act.

I N D E X

- 1-Writ petition with affidavit. 1 to 17
- 2-Annexure-1- A Photo copy of the F. I. R. alongwith seizure list and statement of tractor driver. -13-20
- 3-Annexure-2- Photo copy of the abstract of Anushrawan Sommittee. -21-25
- 4-Annexure-3- Photo copy of the order dated 4-3-2013. - 26
- 5-Vakalatnama.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W. J.C. NO. \_\_\_\_\_ OF 2013.

Md. Taiyab Hussain ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others .... Respondents.

S Y N O P S I S

The present writ application is directed against the order dated 4-3-13 passed by the respondent no. 3 the Sub-Divisional Officer, Madhepur he has cancelled the licence no. 12/11 of Public Distribution System of the petitioner situated at Rampur Lahi under Block Shankarpur, District Madhepura without asking any show cause and has not given any opportunity to the petitioner to defend himself.

2011

Licence No. 12/11 of Public Distribution

system for Rampur Lahi under Block Shanka

pur District Madhepura allotted to the petitioner.

26-2-2013 The Respondent no. 4 the Block Development Officer cum-Block Supply Officer had seized a loaded tractor out of which 27 bags of wheat (13.15 quintals) has been seized and accordingly Shankarpur P.S. Case No. 10/13 for offence under section 7 of the E.C. Act has been lodged against the petitioner and driver of the tractor. It has been alleged that seized wheat belong to petitioner and he sent the same to Triveniganj for black marketing .

27-2-13 Anushrawan Samittee checked the P. D. S. shop of petitioner physically and found the stock and documents are proper and reported the same to the authority concerned.

Later on The Investigating Officer and Supervising authority S. D. P. O. has physically checked and verify the P. D. S. shop of petitioner

-iii-

and found proper there is no irregularity.

The Investigating officer and Supervising authority interrogated the local villagers a beneficiary who has not made any complain against the petitioner even they supported that there is no irregularity in the shop of petitioner.

Petitioner categorically denied that the seized wheat does not belongs to him and some persons namely Manohar Yadav, Mahanti Yadav, Bindeshwar Yadav and Md. Habib have claimed that the seized wheat belongs to them for which they filed a petition in the confiscation proceeding.

4-3-2013 Out of sudden without issue any notice or supply any report or ask show cause to defend the respondent no.3 .The Sub-Divisional Officer Madhepura has cancelled the

iv-

Licence No. 12/11 of P. D. S. shop of the  
petitioner vide Memo no. 69 dated 4-3-2013  
and a sent a copy of the same to the  
petitioner.

Hence the present writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W. J. C. NO. \_\_\_\_\_ OF XXXXX 2013.

In the matter of an  
application under Article  
226 of the Constitution of  
India;

AND

In the matter of  
Md. Taiyab Hussain son of late Haji Suleman  
resident of Village Rampur Lahi, P. S. Shankarpur,  
District Madhepura. .... Petitioner.

Versus

- 1-The State of Bihar through District Magistrate,  
Madhepura.
- 2-The District Supply Officer, Madhepura.
- 3-The Sub-Divisional Officer, Madhepura.
- 4-The Block Development Officer, cum-Block Supply

Officer, Shankarpur, District Madhepura.

..... Respondents.

To

The Hon 'ble MS Justice Rekha M. Doshit,

The Chief Justice of the High Court of

Judicature at Patna and her companion

Justices of the said Hon 'ble Court.

The humble petition on

behalf of the petitioner

named above;

Most Respectfully Sheweth:-

- 1- That this writ application is directed against the order dated 4-3-2013 passed by the respondent no. 3 the Sub-Divisional Officer Madhepura in which he has cancelled the Licence No. 12/11 Fare Price Shop of the petitioner in pursuance of Shankarpur P. S. Case No. 10/13 dated 26-2-2013.
- 2- That the points for consideration in this

case are:-

- 1) Whether the order of cancellation can be passed without any proceeding initiated for the same .
  - ii) Whether the impugned order is liable to be struck down in absence of any notice to show cause against the said cancellation .
  - iii) Whether the Principle of natural justice has been violated ~~vk~~ which is granted by the constitution of India ?
  - iv) Whether ~~any~~ in absence of any illegality found in the fare price shop the licence of the petitioner can be cancelled ?
- 3- That the petitioner is a citizen of India and residing within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court .
- 4- That the petitioner runs a fare price shop



bearing Licence No.12/11 in village Rampur Iahf  
within Shankarpur Block District Madhepura.

3- That the case of the prosecution in short  
is that on 26-2-13 Shri Ashok Kumar, Block Develop-  
ment officer cum-Block Supply Officer Shankarpur  
enquired about loaded wheat ~~xxxx~~ on a tractor with  
out number. He found 27 packet of wheat (13.50 Qnts  
and he found that the wheat were similar that of the  
wheat of State Food Corporation which supply the  
same to the fare price shop. The Tractor driver  
stated that he loaded the wheat on the instruction  
of petitioner who asked him to proceed to Triveni  
ganj Market. The informant suspected that the said  
wheat has been taken for black marketing.

A photo copy of the F. I. R.  
alongwith the seizure list  
and statement of tractor  
driver is being annexed her

with and marked as Annexure  
1 to this petition.

6- That on 27-2-2013 at 8 A.M. the members  
of the Anushwan Samittee made surprise checking in  
the fare price shop of the petitioner and found that  
there was no irregularity committed by the petitioner  
er but since the case has been lodged by the Block  
Development Officer cum-Block Supply officer the  
Anushrawan Samittee sealed the shop of the  
petitioner.

8- A photo copy of abstract of  
the report of Anushrawan  
Samitti is being annexed herewith  
with and marked as Annexure  
2 to this writ application.

7- That during investigation the statement of  
the members of the Anushrawan Samittee were  
recorded by the Investigating Officer in which

Kiran Devi the Chairperson of the Anushrawan Sammittee alongwith members namely Smt. Maena Devi, Shri Arbind Kumar, Sri Rajeev Ranjan stated that they had inspected the shop of the petitioner and had found no discrepancy.

8- That the Investigating Officer also peruse the allotment coupon and found that the stock of wheat distributed in the month of February and the remaining wheat in the shop against the stock of wheat was complete.

9- That the Sub-Division Police Officer supervise the case has stated that the Anushrawan Sammittee in it s report after enquiry has found that on 27-2-2013 the stock of B.P.L. Wheat 39.30 Kelogram and Antyoday wheat 266 kelogram were found intact after distribution and has further opined that from the aforesaid fact it is clear that the said wheat does not belongs to the petitioner.

10- That further the I.O. enquired with the local residents about the fare price shop of the petitioner but the residents did not complaint any mal practice of the petitioner and stated that the distribution of the Food grains is being made by the petitioner accordingly.

11- That the supervising officer also describe the I.O. asto in which circumstance the remaining food grains from the shop of the petitioner has been transferred to the shop of dealer Satya Narayan Sal

12- That the petitioner has categorically denied that the seized wheat does not belongs to him, but the Collector Madhepura initiated Confiscation Case No. 4/2013.

13- That during the confiscation proceeding four persons namely Mahanti Yadav, Manohar Yadav, Bindeshwari Yadav and Md. Habib have claimed that the seized grains were kept on the tractor belongs to

A photo copy of the order dated 4-3-2013 is being annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ application.

16- That before passing the impugned order the respondent no. 3 did not issue any notice to the petitioner to show cause why the licence of the <sup>shop of</sup> the / petitioner be cancelled.

17- That the petitioner was never served any show cause notice nor was given any opportunity of hearing and it has all been done against the principle of natural justice.

18- That it is well settled that before any order of cancellation or any order adverse to the interest of the petitioner is passed he should be afforded an opportunity of explain his case.

19- That it is also well settled law that

the basic <sup>requirement</sup> respondent of fair play in action is only for complain of principle of natural justice. If the show cause notice is vague and does not <sup>contains</sup> contents the particulars in support of the allegation and is not accompanied with the relevant materials which has been <sup>considered</sup> cancelled by the licensing authority at the time of passing final order, the same has to be turned as given inadequate opportunity to the P. D. S. licence holder.

20- That in this case no notice what so ever was given to the petitioner before cancelling the licence and even without initiation any proceeding

21- That in the facts and circumstances stated above matter requires interference of this Hon'ble Court.

22- That the petitioner has no alternative efficacious and speedy remedy than to move this

Hon 'ble Court for redressal of his grievances.

23- That the petitioner has not moved before this Hon 'ble Court earlier in this matter.

It is therefore, prayed that your Lordship may graciously be pleased to issue Rule NISI upon the respondents asking them as to why not this writ application be not allowed and after cause being shown if any, after hearing the parties allow this application and set aside the order dated 4-3-2013 passed by the respondent no.3 vide Annexure-3 and/or pass such other order/orders as may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Md. Taiyab Hussain, aged about 52 years, son of late Haji Suleman, resident of Village Rampur Lahi P. S. Shankarpur, District Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1- That I am sole petitioner in this writ application and fully conversant with the facts and circumstances of the case.

2- That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood.

3- That the statements made in paragraphs No. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 and 20 are true to my knowledge and those made in paragraphs No. 3, 6 and 15 are based on information derived from the relevant records and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

4- That the annexures are photo/true/typed copies of their respective originals.

*Md. Taiyab Hussain*



07.05.13

08.05.13

(13)

10.05.13

स्थान: मु० न्याय दफ्तर, मधेपुरा

शंकरपुर थाना 10/13

नया बनाम मो० लैब ड्रैंगिंग

Annex-1

347/13

Authorization No. 2037

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
MADHUPURA SCORE, MADHUPURA

प्राथमिकी (F. I. R.)

09334

संख्या

(पु० प्र० सं० की धारा 154 के अन्तर्गत)

\* अनुमंडल मधेपुरा \* थाना शंकरपुर \* वर्ष 2013 \* प्राथमिकी सं० 113 \* तिथि 26.02.13

(S. Div.)

(P.S.)

(Yr.)

(F.I.R. No.)

(Date)

- (I) \* अधिनियम (Act) ..... X ..... \* धाराएँ (Sections) ..... X ..... 10 215/5
- (II) \* अधिनियम (Act) ..... X ..... \* धाराएँ (Sections) ..... X ..... 10 538/5
- (III) \* अधिनियम (Act) ..... X ..... \* धाराएँ (Sections) ..... X ..... 7 E.C.A.A
- (IV) \* अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) ..... 7 E.C.A.A

(क) \* अपराध की घटना 26.02.13 \* दिन 26.02.13 \* तिथि से 26.02.13 \* तिथि तक  
(Occurrence of offence) (Day) (Date from) (Date to)

\* समयवधि (पहर) 24 घंटे से 24 घंटे \* बजे से \* बजे तक  
(Time period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 26.02.13 समय 12:30 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 26.02.13 समय 22.00 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रतिष्ठ सं० समय 22.00 बजे

सूचना का प्रकार (Type of information)

\* लिखित/मौखिक (Written/Oral)

परीक्षित लिखित आरेख

घटना स्थान (क) से दिशा पूर्व दूरी 200 मीटर \* गश्त सं० IV  
(ख) \* पता (Address) मधेपुरा कब्रिस्तान

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम जिला

परिवादी/सूचना दाता :

(क) नाम श्री अशोक कुमार पंडित विद्या परिषदी एवं उनके आशुतोष आशुतोष

(ख) पिता/पति का नाम श्री अशोक कुमार

(ग) जन्म-तिथि (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ङ) पारपत्र सं० निर्गम तिथि निर्गम स्थान

(च) पेशा नौकरी

(छ) पता 100 मधेपुरा नं० 1 मधेपुरा जिला मधेपुरा

भारत  
STAMP DUTY  
00000  
0000007  
10 5 2013  
BIHAR  
JUDICIAL  
374150  
INDIA  
\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Seven\*

0561 1519635

Handwritten signature and date 26/2/13

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

7. बात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पना लगाएं)

1. पिता: श्याम सुन्दर शर्मा 2. पिता: श्याम सुन्दर शर्मा 3. पिता: श्याम सुन्दर शर्मा


(931C)

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई सं० मी० में (Height) (in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

अन्य विवरण

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12



स्थान

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जखम चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विधिष्ठतायें दी जाएं तभी इन स्तंभों में विधिष्ठतायें की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायताार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा। इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा। जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएंगे।

जफ्री (ह्यूज)

1. जफ्री परा का नामांकन पत्राग

24 अक्टूबर 2013  
 पत्राग विकास पत्राग  
 सुद  
 पत्राग आर्य पत्राग. शंकरपुर

2. जफ्री का समग्र, लक्षण एवं विशेषता

10 वजे रज, धाना परिसर, शंकरपुर दिनांक 26/2/13

3. जफ्री का कार्य :

आवृत्त वप से सरकारी भोगवलाओं के गेड का कालावजावी के अक्षर से वकी के वादर भावा

4. गवाह जिनके समग्र जफ्री का किता गदा

24 लगन सिविलिन  
 पिला : सुदय, सुदयिदव, गगन-परला  
 धाना - शंकरपुर

5. जफ्री सादिगी का विवरण :

संदिगा एपु गदिगा वधुनी का धुवराज इकर एवं वल विना नमक का, गुसपर वडा जफ्री लवभा का विलली-



I. गेड - 22 (पांच) वकज एवं गे के वागन वागना 50 किलो प्रति वकज  
 $22 \times 50 = 11.00$  कत.

II. गेड - 5 (पांच) वकज लवरीक वग के वगन वागना 50 (पांच) किलो प्रति वकज  
 $5 \times 50 = 2.50$  कत.  
 कुल गेड के भाग =  $11.00 + 2.50 = 13.50$  कत.

6. गवाह का दलवाक

गगन सुधि सुद

7. जफ्री परा का दलवाक

26/2/13  
 पत्राग विकास

हैं, राजेन्द्र भाइव पिता श्री विधानन्द भाइव  
 साकीन- रामपुर लखी, पंचमन- रामपुर लखी  
 विद्या मिथी द्वाव के पूरे दसै दवाव  
 के साथ काम देता है। उ मेरे ईकर  
 साइक के चालक सुद्ध मालिक है परदा  
 समान भवा सालू वः केर, चान- वः केर  
 है, वह समान मेरा है एवं लडा इका, 27  
 (सत्राडिमु) केर गेहें रामपुर लखी पंचमन  
 के जब कि विकेता सुभव डलुन के इका दवाव  
 दिना गमा एवं त्रिवेणीजग राजा न जान  
 के लिए कथा। साथ- साथ भदमी कथा  
 कि मैं पीके से सा दवा इंत मेरे ईकर  
 शक-का पंजीकप नही है। ईकर मालिका कथनी  
 का है।

गवाह जिनके समक भाग  
 लिखा गया :

श्री लजन सिंह  
 पिता सुमन सिंह  
 ग्राम- परसा  
 थानी- शंकरपुर

लजान सिंह

राजेन्द्र भाइव  
 26-2-13



(3)

अनुच्छेद 47, प्रपत्र सं०-118

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण :

*Handwritten signature and date:*  
27.07.19

9. चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के ख्यारे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें )

10. \* चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total value of properties stolen/involved/recovered).....

11. \* अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U.D. Case No., if any)

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)



*Diagonal line crossing the page, possibly indicating a signature or a mark.*

06-05-13

07-05-13

08-05-13

10-05-13

20

101511

(4)

सूची 47, प्रपत्र सं-118

प्राप्त का लिखित आवेदन कांड का मुफ्त आधार है कि  
मुफ्त धर्म मुफ्त के साथ एवं दंडित प्रति हेतु चारापत्री  
संबंधन है।

जनविनायक प्रणाली सिद्धांत द्वारा चारा प्रकारी के  
उद्देश्य हेतु अपने पत्र सार व्यापक परिष्कार से हेतु चारापत्री  
व्यापक विवेकपूर्ण प्रमाण सिद्धि एवं हेतु ले जाया

*[Signature]*  
26.5.13  
आमापत्र  
जे. डी. प्रभारी



की गयी कार्रवाई : चूंकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः  
कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया \* श्री. सुभाषिणी पदनाम श्री. प्रकाश का अनुसंधान  
करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/आधिकारिता के प्रश्न पर ..... धाना को  
अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवारी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया,  
पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवारी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above  
report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the  
investigation/directed \* ..... Rank ..... to take up the investigation.)

4. परिवारी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।  
धाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय-

*[Signature]*  
26.02.13  
आमापत्र  
जे. डी. प्रभारी  
धाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) सुभाषिणी सुभाषिणी  
पदनाम (Designation) आमापत्र

*[Signature]*  
10

00=05  
04=95  
06=05  
03=50

26/05/13

20/05-14=55  
श्री. चौधरी कठपत्रपत्र प्रेषण  
26/05/13

Handwritten notes and a signature at the top right of the page.

आज दिनांक 27/03/2020 को 8 बजे जनकपुर प्रणाली विज्ञान मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर अनुभवण समिति के द्वारा औचक निरीक्षण एवं आपात बैठक श्रीमति किरण देवी मागनी मुखिया श्रीमति किरण देवी के अध्यक्षता में पाठशाला की गई जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

1. श्रीमति किरण देवी, मुखिया :-
2. श्रीमति मीना देवी, सरपंच :-
3. श्री राजीव कुमार, सरपंच :-
4. श्री शरद्विन्दु कुमार, सरपंच :-
5. श्री युगेश्वर सरदार, सरपंच :-
6. श्री विद्या मंडल, सरपंच :-
7. श्री मनोहर प्रसाद, सरपंच :-
8. " अशोक कुमार
9. " कल्याण चन्द
10. " शशि मन्दन
11. पुरुषोत्तम कुमार

प्रस्ताव संख्या - 01

सर्व प्रथम विद्यार्थी बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या - 02

अधिकांश सह मुखियाजी ने बताया कि प्रखंड आशुति पदाधिकारी शंकरपुर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर ने कुरनाथ पर संचित किया है कि ग्राम पंचायत शंकरपुरलाही पंचायत के कुरनाथ का स्तम्भान्न वालावाजारी के विद्यार्थी बैठक के

वितरण प्रारंभ किया गया।

प्रस्ताव संख्या : - 04

अनुप्रवण समिति ग्राम पंचायत  
रामपुरलाही के द्वारा वितरण पंजी संत कुपन का  
कुम्हार अवलोकन किया गया :-

क्र०	दिनांक	वितरण		अवशेष	
		B.P.L+ गैर- अनुपेक्षित	गैर- अनुपेक्षित	चावल B.P.L+ अनुपेक्षित	चावल अनुपेक्षित
01	23/01/2013	1530	238	2295	307
02	24/01/2013	340	56	510	80
03	25/01/2013	240	28	360	42
04	26/02/2013	140	-	210	-
05	27/02/2013	10	-	10	-

अवशेष गेहूँ 3930 कि० 266 कि०  
चावल 5895 एवं 399 कि० गेहूँ में पाया  
गया।

प्रस्ताव संख्या - 8 - 05

अनुप्रवण समिति ग्राम पंचायत रामपुर-  
लाही के द्वारा किरासन तेल का श्री गैर-अनुपेक्षित,  
वितरण पंजी का अंश किया गया। अंतर्गत  
पाया कि दुकानदार के द्वारा दिनांक 23/01/2013  
को 2370.50 लीटर किरासन तेल का उठाव  
किया गया। अनुप्रवण समिति के द्वारा उठाव  
एवं सत्यापन के पश्चात् दिनांक 25/01/2013 को  
किरासन तेल 621.50 एवं 26/01/2013 को  
1160.50 लीटर किरासन तेल वितरण किया गया।


प.स. 20



आरीष में खाद्यान्न जस्त कर प्राधान्य की दृष्टि  
की गई है के आलोक में सती अनुसूचना  
समिति के सदस्यों का अपान लेक का आयोजन  
किया गया है।  
प्रस्ताव संख्या-03

सतप्रथम ग्राम पंचायत रामपुर  
पैक्स दुकानदार मो. तैयत के उपस्थिति में  
सरकारी सस्ते गले का दुकान खुलवाया गया  
एवं गंडार पंजी, वितरण पंजी मांग की गई।  
गंडार पंजी, वितरण पंजी के अनुसार दुकान के  
अद्वार सते खाद्यान्न की जांच की गई।  
जाचोपरान्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल निम्न  
प्रकार पाया गया -

दिनांक 16/02/2013 को अनावितरण प्रगली विदेना  
के द्वारा विहार सस्ते खाद्य निगम मधेपुरा से  
वी०पी०एल पारिवारी के लिए गेहूँ 6190 कि०  
एवं चावल 4685 एवं अन्तीद्वय पारिवारी के लिए  
गेहूँ 088 एवं चावल 832 कि० एवं पुन विदेना  
22/02/2013 को केवल वी०पी०एल पारिवारी का  
चावल 4600 कि० का उठाव कर ग्राम पंचायत  
रामपुरलाही पैक्स के दुकान पर रखा गया  
रामपुरलाही पैक्स दुकान का स्थल पर स्वयं  
उपस्थित होकर प्रैक्टिस आश्रति पदाधिकारी  
शंकरपुर के द्वारा दिनांक 17/02/2013 को  
गंडार सत्यापन किया एवं सही प्रकार  
निगमानुक्रम खाद्यान्न वितरण का आदेश दिया  
गया। अन्त आदेश के आलोक मरीव  
वी०पी०एल पारिवारी के बीच खाना का



अन्त में मुखियाजी के द्वारा सव्यापनोपय  
 यह निर्णय लिया गया कि च्युकि प्रखंड आश्रम  
 पहाचिजायी शंकरपुर के द्वारा खाद्यान्न का वितरण  
 के नियत से केचरी के आश्रम में प्राथमिक  
 दर्ज की है च्युकि यह मामला बाल्य का  
 ही गया है। ऐसी स्थिति अनुभव  
 समिति के सविवेकात्रिणनुसार, भंडार पंजी,  
 वितरण पंजी, को जल जार दुकान को प्रेषित  
 किया जाता है। इसकी सुचना अनाधिकारी  
 को भी दी जाय।

अन्त में अध्यक्ष के सापेक्ष  
 के साथ अनाथ बच्चों की कार्यवाही समाप्त  
 की जाती है।

किरण देवी  
 अध्यक्षी  
 मुखिया  
 अनुभव समिति  
 ग्राम पंचायत रामपुरसाही

प्रतिलिपि - मोठ तैगव, ग्राम पंचायत रामपुरसाही पंचायत  
 का मुख्यालय प्रेषित रामपुर साही  
 किरण देवी

मुखिया  
 ग्राम पंचायत रामपुरसाही

प्रश्न पत्र डाक्टरी  
द्वारा दीया गया रिपोर्ट

प्रश्न पत्र किन जस्तों कि इस पत्र में  
कुल 30 (तीस) पन्ने हैं।

प्रश्न पत्र माफ़ि पदाधिकारी  
इतिहास पत्र

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शंकरपुर, ने अपने पत्रांक 397 दिनांक 27.02.13 के साथ दायर प्राथमिकी, जप्ती सूची, जिम्मेनामा ट्रेक्टर मालिक-सह- चालक का बयान की छाया प्रति सलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 26.02.13 को थाना शंकरपुर द्वारा पकड़े गये बिना नम्बर के टैक्टर-टेलर पर लदे अनुदानित गेहूँ जिसे मो० तैयब हुसैन, पैक्स अध्यक्ष, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर द्वारा अपने घर-सह-व्यापार परिसर से उक्त टैक्टर पर कालाबाजारी हेतु ले जा रहा था को तत्क्षण जप्त कर कालाबाजारी के आरोप मो० तैयब हुसैन, पैक्स अध्यक्ष, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर सहित सलिलप अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के तहत स्थानीय थाना शंकरपुर में प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है, जिसका शंकरपुर थाना काड संख्या-10/13 दिनांक 26.02.13 है।

अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शंकरपुर के उक्त पत्र/दायर प्राथमिकी के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण अधिनियम 2001 एवं शंसोधन आदेश 2011 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मो० तैयब हुसैन, पैक्स अध्यक्ष, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर की अनुज्ञापति संख्या-12/11 को रद्द किया जाता है।

रद्द सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, मो० तैयब हुसैन, पैक्स अध्यक्ष पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर के दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को उसी पंचायत के निकटतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सत्य नारायण साह के दुकान के <sup>साथ</sup> सम्बद्ध किया जाता है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शंकरपुर को आदेश दिया जाता है कि रद्द विक्रेता मो० तैयब हुसैन के दुकान के भंडार में यदि पूर्व माह का वितरण हेतु अवशेष खाद्यान्न/किरासन तेल (जप्ती सूची में अंकित खाद्यान्न की मात्रा को छोड़कर) उपलब्ध है, तो उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 की कंडिका-08 में निहित प्रावधान के तहत अपनी देख-रेख में संबंधित दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर एवं मात्रा में वितरित कराकर प्राप्त राशि रद्द अनुज्ञापितधारी को हस्तगत कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी  
मधेपुरा।

ज्ञापक 69 / आ० मधेपुरा, दिनांक 24 मार्च 2013 ई०

प्रतिलिपि :- मो० तैयब हुसैन, पैक्स अध्यक्ष, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर / श्री सत्य नारायण साह सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शंकरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुरा / सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मधेपुरा / मुरलीगंज / मेसर्स शिवशक्ति थौक किरासन तेल विक्रेता सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- श्री सत्य नारायण सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता  
मधेपुरा / श्री सत्य नारायण साह सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत रामपुरलाही प्रखंड शंकरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
24/3/13

अनुमंडल पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में

भाग्यदम्पती,  
शंकरपुर (भाग्य)

20/11/13  
शंकरपुर

विषय: ग्राम शंकरपुर अन्तर्गत का प्रिन्सिपल के पास से पकड़ कर शंकरपुर परिसर आने गये रूकट पर लड़े गेड़ों के जांच प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाराज,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आज दिनांक 26/2/13 को पकड़े गये विना नमूने के ईकट-रेल पर लड़े गेड़ों का जांच किया। ईकट पर लड़े 22 (सत्तर) पकड़ के गेड़ों का नमूना निकाल कर देखा। सभी गेड़ों पर समान ही एवं जो कि ~~शंकरपुर~~ का राज्य (वडम) निगम से प्राप्त गेड़ों से मेल करता है।

Registered Shikharpur P.S. Case No. 26/2/13 dated 26.2.13 at 7.45 AM, G.S.T. R.N. Taran  
S.H.O. Shikharpur P.S. Taran  
Shikharpur P.S.



ईकट चालक सह मासिक 24 गजेटेड पकड़ने पिता विधानद भादव, लकीर रामपुर लाही, पंचायत, रामपुर लाही, शंकरपुर में लड़े व्याज में बताया कि गेड़ों रामपुर लाही के पंचायत अधिका सह जो कि जो विक्रेता जो कि तमक इसी का ही भूद गेड़ों ईकट पर भादव के पकड़ने उनके द्वारा बताया गया कि शिवजीगंज बाजार में चले। मैं पीछे से आ रहा हूँ।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि जो विक्रेता तमक इसी का भाग गाली के डिप्टी से अपने घर सह व्यापारिक से गेड़ों शिवजीगंज बाजार विक्री हूँ मेरा रिपो मत भवडीय से आठरेया है कि जो तमक इसी, पंच अधिका सह जो कि जो विक्रेता पंचायत रामपुर लाही एवं ईकट सह गजेटेड के मासिक


26.2.13  
S.H.O.  
Shikharpur P.S.

श्री गजेंद्र भाडव पिता श्री विद्यालाल भाडव -  
समीन रामपुर बाही, पुंचापत्र - रामपुर बाही  
धारा झंझार के विरुद्ध आवक  
पत्र आधिकारिक एवं वापसपत्री अधिकारिक  
के सुसंगत व्याप के आतंरिक प्राथमिकी  
दंग करत इए आवक करवाई करे

1

श्री अरवि कुमार  
पिता: स्व. सुरेंद्र प्रसाद  
संख्या - 1 (एक)  
मथपुरा नरमपुत्रिका  
मथपुरा

विद्यालाल भाडव  
18/06/2013  
(श्री अरवि कुमार)  
जयपुर विकास पत्रा स एप्रकाश  
अरवि पदम शिकपुर



them which were sent for sale in Tribeniganj.

14- That in the circumstances stated above it is clear that the said wheat does not belong to the petitioner and the enquiry and ~~xxxxxx~~ spot verification of the shop of the petitioner by the Anushrawan Samittee and also by the Investigation and supervising officer did not find any irregularity or shortage of grain in the fare price shop of the petitioner.

15- That in the meantime the respondent Sub-Divisional Officer, Madhepura issued an order vide memo no. 69 dated 4-3-2013 cancelled the said license of the petitioner's shop and also order to transfer of the food grains from the shop of the petitioner to a nearby fare price shop of Satya Narayan Sah for distribution on the basis of F.I.R., Seizure list, Statement of tractor driver, and report of respondent no. 4 (informant of F.I.R.)